Course ---M.A, Education,Part --2

Paper--11th, Educational Administrative Practice

Prepared by--Dr Meena Kumari

Topic -- Educational Management in India

भारत में शैक्षिक प्रबंधन

(1) प्रस्तावना --- प्रारम्भ में प्रबंधन शब्द का प्रयोग औद्योगिक संगठन तथा संस्थाओं के लिए किया जाता था ।इस शब्द का प्रयोग औद्योगिक क्रांति के बाद जब उत्पादन के क्षेत्र में ठहराव आ गया तो इसमें नए नए प्रयोग होने लगे प्रबंधन के जितने सिद्धांत हैं , वह लगभग 19वीं सदी के से ही शुरू हुआ है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन और प्रबंधन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है।भारत में वैदिक शिक्षा या बौद्ध धर्म में शिक्षा का कमान गुरुओं ने संभाली थी।मध्यकालीन शिक्षा तक यह मखतब ,मदरसा और मठ में भी मौलवी और पंडितों के हाथ में शिक्षा सौपी गई थी।अतः अंग्रेजो के शासन काल से ही शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की नीव डाली गई थी।

(2) आजादी के पूर्व का शैक्षिक प्रबंधन --- अंग्रेज आने के पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था संगठित नहीं थी शिक्षा के प्रबंधन तथा शिक्षा देने दोनों का कार्य गुरु के गुरुओं के हाथ में हीं थी। सर्वप्रथम 1813 में जब चार्टर एक्ट आया तो शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। उस समय का शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन केंद्रित था प्रांतों को केंद्र की नीतियों का पालन करना पड़ता था केंद्रीय समस्त नीतियों का निर्धारण करता था। यह दायित्व भी बहुत सीमित था ,देश की समग्र शिक्षा के लिए ₹100000 समुचित रूप से व्यय हो यह देखने मात्र का कार्य तत्कालिक शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य था ।1813 तक शिक्षा का क्षेत्र प्रांतों का विषय रहा। 1854 ई. में जब वुड डिस्पैच के साथी शैक्षिक प्रबंधन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत वुड डिस्पैच को ही माना जाता है क्योंकि वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का महा अधिकार पत्र यानी मैग्राकार्टा भी कहा जाता है ।इसमें शिक्षा पुनर्निर्माण तथा शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण के लिए नीति प्रस्तुत किया गया जिसमें जनसाधारण के लिए भी शिक्षा व्यवस्था करने ,अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने देसी शिक्षा को प्रोत्साहन देने प्राथमिक शिक्षा तथा नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ शिक्षा का उत्तरदायित्व वैयक्तिक संस्थाओं को सौंपने तथा उदारता पूर्वक सहायता, अनुदान देने की अनुशंसा की थी।1883 में रिपन ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपा। 1901 में डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के पद का सृजन किया गया और 1910 में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड लैंड कहलाता था। यह विभाग वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के अधीन रखा गया। उसी वर्ष इस विभाग की देखभाल के लिए एक सचिव नियुक्त किए गए। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्ज़न ने शिक्षा को गुणात्मक सुधार की बातें के तथा उसने शिक्षा का पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया ।अब शिक्षा का प्रशासन और प्रबंधन

सरकार के नियंत्रण में आ गया और इसके सुधार के लिए भी सरकारी शैक्षिक प्रयास किए जाने लगे। रैले आयोग की सुझाव पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए गए थे ।

(3)भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवम् शिक्षा --- राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय आदर्शों पर आधारित और भारतीय भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा की मांग की जिन पर भारतीयों का नियंत्रण हो 1910 में गोखले ने प्रस्ताव दिया की प्राथमिक शिक्षाको निशुल्क तथा अनिवार्य बनाया जाए, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। 1913 ईस्वी में जारी सरकारी प्रस्ताव में निरक्षरता दूर करने पर प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिए जाने की नीति को स्वीकार किया गया। 1917 में सैंडलर आयोग के अंतर्गत सीनेट, सिंडिकेट के स्थान पर छोटे आकार की प्रतिनिधि सभा और कार्यकारिणी परिषद गठित करने तथा प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की थी ।भारतीय शिक्षा आंदोलन में शिक्षा पर भारतीय नियंत्रण, भारतीय प्रशिक्षण, मातृभूमि प्रेम तथा मातृभाषा शिक्षण इत्यादि की मांग की गई थी। 1929 में हटांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए इसका भाड़ शासन पर सौंपने का निर्णय किया गया।सन 1921 तक शिक्षक प्रबंधन केंद्रीय विषय ही रहा कुछ महत्वपूर्ण अधिकार राज्यों को सलाह देने का काम समग्र देश की शैक्षिक नीति आयोजन देश में शैक्षिक संबंधित आंकड़ों का प्रशासन विशेष क्षेत्रों की शैक्षिक वित्तीय अनुदान एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे।1921 मैं शिक्षा को प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार प्रांतों को इस विषय का देखभाल करना पड़ा तथा केंद्र, शिक्षा से अपने आप को अलग कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केंद्र ने शिक्षा में रुचि दिखलाई और 1945 ईस्वी में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई।

(3) आजादी के पश्चात का शैक्षिक प्रशासन एवम् प्रबंधन --- आजादी के पश्चात शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ दिया गया। 1964 ई. मैं शिक्षा विभाग तथा विज्ञान विभाग में बांट दिया गया। इन मंत्रालय को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रखा गया तथा उनकी सहायता के लिए दो उप मंत्री तथा एक राज्य मंत्री को रखा गया। 1964-65 में शिक्षा मंत्रालय को पुनर्गठित किया गया और इसमें 5 ब्यूरो तथा 4 डिवीजन बनाई गई ताकि प्रशासन को विकेंद्रित किया जाए।1976 ई में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया अर्थात शिक्षा के प्रबंधन तथा प्रशासन के बागडोर राज्य तथा केंद्र सरकार मिलकर उठाएंगे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। स्वतंत्रता से पूर्व निरंकुश एवं कठोर प्रशासन के प्रमाण मिलते हैं वही वर्तमान में जनतंत्र प्रशासन लेता जा रहा है। आज प्रशासन देश की वर्तमान राजनीति विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं ।कोठारी आयोग की संस्तुति की प्रत्येक जिले में एक शैक्षिक अधिकारी शिक्षा के गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए कार्य करें और इसका मुख्य कार्य द्वारा विद्यार्थियों के लिए कार्यरत शिक्षकों के सुधार का हो ,इसी दिशा की ओर इंगित करते हैं ।नई शिक्षा नीति के बाद बी एड , एम एड तथा एम ए , एजुकेशन में शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन एक अलग पेपर के रूप में पढाया जाता है और प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,दिल्ली में कार्यरत है। नयी शिक्षा नीति 2020 में लागू हो गया है। इसमें बहुत सारे नए नए प्रावधान बनाए गए हैं ताकि शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन को विकेंद्रित के साथ साथ अधिक प्रभावी बनाया जाए।

वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा स्थानीय निकायों के हाथ में है। स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन को बहुत अधिक विकेंद्रित कर दिया गया है, लेकिन पर्यवेक्षण के अभाव में अभी भी प्रबंधन तथा प्रशासन बहुत अधिक प्रभावी नहीं है।